# फर्द अहकाम

मनोज शर्मा बनाम प्रभाती देवी

तथा ACJM CFT/शाहपुरा

113/09 धारा 237/2016 प्रमाण

| दिनांक आज्ञा या कार्यवाही | आज्ञा विस्तृत रूप से | विशेष विवरण |
|---|---|---|
| 3-4-17 | [illegible] "अग्रिम तिथि [illegible] 13-4-17 को पेश हो। | |
| 13/4/17 | [illegible] "अग्रिम पत्र है। पत्रावली [illegible] की सामग्री पेश करने [illegible] 11-5-17 को पेश हो। | |
| 11/5/17 | [illegible] कार्यवाही में है। पत्रावली [illegible] की सामग्री के दिनांक 29-6-17 को पेश हो। | |
| 29/6/17 | आज मय पत्रावली श्रवण लोक अदालत में मय नोटिस पत्रावली पेश हुई, मूल वादी द्वारा धारा 022 R3 CPC व 022 R4 CPC लोक अदालत की आज्ञा से स्वीकार किए जाते हैं। धारा 1 में भी स्वीकार किए जाते हैं। धारा 1 का मूल वाद हुक्मी इकरारनामा खरीदारी का है जिसका निपटारा दस्तावेज सबूत के आधार पर कुछ शर्तों के आधार पर किया जा रहा है। अतः पत्रावली में लगे अग्रिम 1 प्रोदेश दिनांक 20/X/09 को समाप्त किया जाकर मूल वाद के निपटारा तक दोनों पक्षों को पाबंद किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार कर पत्रावली अलमारी | |

सहायक कलक्टर एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रैक) शाहपुरा [illegible]

Scanned with CamScanner